




कार्यालय-ज्ञाप


कोविड-19 के प्रसार की रोकथाम के लिए भारत सरकार द्वारा दिनांक 03 मई 2020 तक घोषित देशव्यापी लॉकडाउन के दृष्टिगत कार्यालय-ज्ञाप संख्या लो०अ०वि०/सा०प्र०/272/2020 दिनांक 27.03.2020 के क्रम में कुलपति महोदय के आदेशानुसार विश्वविद्यालय की समस्त परीक्षाएं एवं मूल्यांकन कार्य दिनांक 03.05.2020 तक स्थगित रखते हुये निम्नवत दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. विश्वविद्यालय के फ़ैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षक/शोधार्थी/शिक्षणेत्तर कर्मचारी दिनांक 03.05.2020 तक “वर्क फ़्राम होम” की पद्धति से कार्य करेंगे।
2. विश्वविद्यालय के फ़ैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के द्वारा विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों का संचालन किया जायेगा :-
क) आनलाइन पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करना, आनलाइन शिक्षण कार्य व आनलाइन मूल्यांकन कार्य करना।
ख) लेसन प्लान तैयार करना और शिक्षण सामग्री आगामी शैक्षिक सत्र/सेमेस्टर के लिए तैयार करना।
ग) शोध कार्य जारी रखना।
घ) अर्टिकल, पत्र इत्यादि लिखना।
ड) प्रश्न कोष के लिए नवाचारी प्रश्नों को तैयार करना।
च) “एक भारत श्रेष्ठ भारत” के सम्बन्ध में नवाचारी प्रोजेक्ट तैयार करना।
3. विश्वविद्यालय के समस्त प्रशासनिक भवनों, शैक्षणिक भवनों, छात्रावासों सहित सम्पूर्ण परिसर के सेनिटाइजेशन अनवरत जारी रहेगा, साथ ही आवश्यक सुरक्षा उपाय सुनिश्चित किये जायेंगे। विश्वविद्यालय का स्वास्थ्य केन्द्र कोविड-19 (कोरोना वायरस) के प्रसार की रोकथाम हेतु निरन्तर कार्यशील रहेगा।
4. विश्वविद्यालय के फ़ैकल्टी मेम्बर्स/शिक्षकों/शोधार्थियों/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों द्वारा अपने सम्पर्क सूत्र यथा मोबाइल नम्बर/ई-मेल/व्हाट्सएप्प आदि से विश्वविद्यालय से जुड़े रहेंगे ताकि उनसे विशेष परिस्थितियों में सम्पर्क स्थापित किया जा सके।
5. उपर्युक्त सम्बन्धित दिशा निर्देश सम्बद्ध महाविद्यालयों पर भी प्रभावी होंगे
उपर्युक्त के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश प्रभावी होंगे।


उप-कुलसचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी, अयोध्या, अम्बेडकरनगर, बाराबंकी, गोण्डा, बहराइच, सुलतानपुर, अमेठी एवं लखनऊ।
2. ब्यूरो प्रमुख/सम्पादक/संवाददाता..... को इस अनुरोध के साथ प्रेषित की उपर्युक्त सूचना को अपने सम्मानित दैनिक समाचार पत्र के समस्त संस्करणों में जन हितार्थ निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें।
3. समस्त संकायाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष/निदेशक/समन्वयक/पुस्कालयाध्यक्ष को इस आशय से प्रेषित की उपर्युक्त के सम्बन्ध में स्टेटस रिपोर्ट दिन-प्रतिदिन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
4. विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध समस्त महाविद्यालयों/संस्थानों के प्राचार्य/प्राचार्या।
5. विश्वविद्यालय के समस्त अधिकारी।
6. सेवायोजन सूचना के मंत्रणा केन्द्र विश्वविद्यालय परिसर।
7. अध्यक्ष/महामंत्री शिक्षक संघ, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
8. अध्यक्ष/महामंत्री कर्मचारी संघ, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या।
9. निजी सचिव कुलपति को कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
10. आशुलिपिक प्रति-कुलपति को प्रति-कुलपति महोदय के सूचनार्थ।
11. मीडिया प्रभारी, डॉ० राममनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय, अयोध्या को सूचना के प्रचार प्रसार हेतु।
12. प्रोग्रामर, ई०डी०पी० को उक्त सूचना को विश्वविद्यालय की वेबसाइट तथा सम्बद्ध महाविद्यालयों के कालेज लॉग-इन आई०डी० पर अपलोड किये जाने हेतु।


उप-कुलसचिव (प्रशासन)